



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पतेन राठौड़ कलक्टर, पीपलडा शहर
(पीपलडा अधिकारी) पीपलडा शहर जिला जोधपुर प्रांतीय
दिनांक 21/10/24

क्रमांक : राजपत/2024/369

आदेशः

2024/382

शुभमार्थः 265/2024

प्राथी को "खाता पुस्तकी" प्राथीना पत्र एवं पठवारी खेडी शाखा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपलडा शहर की अनुशंसा को आधार पत्र राजस्थान नू-राजपत अधिनियम 1000 की धारा 138 को अनुसरण में प्रांतीय खेडी कर्ता, खेडी खुत व खेडी शाखा तहसील पीपलडा शहर व जिला जोधपुर की जगामन्ती समस्त 2078 से 2078 में खाता संख्या 131, 00, व 102 में वर्तमान में वर्तमान प्रकृति को निम्नलिखित रूप से सुत किया जाकर राजपत रिकॉर्ड में अमलवरागत के आदेश विवे जाते हैं :-

क्र. सं.	प्रांतीय	खाता संख्या	वर्तमान प्रकृति(असुत प्रकृति)	आदेश(सुत प्रकृति जो राजपत रिकॉर्ड में वर्तमान की जानी है)
1	खेडी कर्ता	131	शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग	शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग
2	खेडी खुत	00	शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग	शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग
3	खेडी शाखा	102	शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग	शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग

(सुभमार्थी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पतेन राठौड़ कलक्टर, पीपलडा शहर
दिनांक :- 21/10/24

क्रमांक :- प्रांतीय/2024/370 to 372

प्रतिशक्ति :-

1. तहसीलदार पीपलडा शहर को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजपत रिकॉर्ड में अमल वरागत शीघ्र किया जाकर प्राथीना रिपोर्ट गिजावार्थे।
2. कलक्टर पठवारी खेडी शाखा की सुभमार्थे।
3. प्राथी शुभमार्थी पुत्री प्रांचाराग गिजावार्थे खेडी शाखा तहसील पीपलडा शहर को सुभमार्थे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पतेन राठौड़ कलक्टर, पीपलडा शहर

Signature ya

Digitally signed by Docda
Designation: Sub Division
Date: 2024.10.25 17:39:36
Reason: Approved

शेडर शाखा